राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/ पंजीकरण योजना/2013/ 761 दिनांकः– 8/8/13

आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पंजीकरण योजना/स्ववित पोषित योजना–2013 के अन्तर्गत निम्नांकित शहरों में नवीन पंजीकरण योजना, 2013 प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	शहर/ योजना का नाम	सेक्टर नं.	आय वर्ग	आवासों की संख्या	पंजीकरण का प्रकार	विवरण
1.	प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर	17	MIG-A (S+11)	37	SFS	सभी आवेदको के लिये
		11	MIG-B (S+10)	21	SFS	सभी आवेदको के लिये
		29	MIG-B (S+10) HIG-A (S+10) HIG-B (S+10)	96 67 18	SFS	सभी आवेदको के लिये
		18	MIG-A (S+11)	401	SFS	सभी आवेदको के लिये
		8	MIG-A(D) MIG-B(D) HIG (D)	07 24 17	SFS	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये
		22	MIG-A(D) MIG-B(D) HIG (D)	91 131 19	SFS	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये
		23	MIG-A (S+10)	200	SFS	पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये
		26	HIG (B+S+10)	160	SFS	सभी आवेदको के लिये
2.	इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर		LIG (G+3)	11	RS	पंजीकृत आवेदकों के लिये
3.	मारवाड अपार्टमेंट, चौपासनी योजना, जोधपुर		MIG-B (B+S+9) HIG (B+S+9)	33 99	SFS	सभी आवेदको के लिय

क्र. सं.	शहर / योजना का नाम	सेक्टर नं.	आय वर्ग	आवासों की संख्या	पंजीकरण का प्रकार	विवरण
4.	कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना फेज–द्वितीय (विस्तार), जोधपुर		MIG-A (G+3)	87	SFS	सभी आवेदको के लिये
5.	आकरा भाटा आवासीय योजना आबूरोड		MIG-A	20	SFS	सभी आवेदको के लिये
6.	नई आवासीय योजना, हनुमानगढ		EWS (G+2) LIG (G+2)	148 54	RS	सभी आवेदको के लिये
7.	पुरानी आवासीय योजना, हनुमानगढ		MIG-B	34	SFS	सभी आवेदको के लिये
8.	कुन्हाड़ी आवासीय योजना, कोटा		MIG-B (S+6)	17	SFS	सभी आवेदको के लिये
9.	गजनपुरा आवासीय योजना, बारां		MIG-A MIG-B HIG	17 09 12	RS	सभी आवेदको के लिये
10.	आवासीय योजना, छबड़ा (झालावाड़)		EWS (A) EWS (B) MIG-A (A) MIG-A (B)	16 30 12 98	RS	सभी आवेदको के लिये
11.	आवासीय योजना, अन्ता (बांरा)		MIG-B HIG	02 07	SFS	सभी आवेदको के लिये
12.	बाडी रोड योजना, धौलपुर		EWS (G+3) LIG (G+3)	131 87	RS	सभी आवेदको के लिये
13.	सवीना खेड़ा–द्वितीय, उदयपुर		MIG-B (G+3)	08	SFS	सभी आवेदको के लिये
14.	पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर		HIG(D)	35	SFS	सभी आवेदको के लिये
15.	पटेल नगर विस्तार, भीलवाड़ा		MIG-A(D) MIG-B(D) HIG (D)	95 85 56	SFS	सभी आवेदको के लिये
16.	आवासीय योजना, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)		HIG	13	SFS	सभी आवेदको के लिये
17.	आवासीय योजना, सागवाड़ा (डूगरपुर)		MIG-B HIG	10 06	RS	सभी आवेदको के लिये

क्र. सं.	शहर / योजना का नाम	सेक्टर नं.	आय वर्ग	आवासों की संख्या	पंजीकरण का प्रकार	विवरण
18.	आवासीय योजना, बांसवाड़ा		MIG-A	40	SFS	सभी आवेदको के लिये
19.	आवासीय योजना, परतापुर (डूंगरपुर)		MIG-B HIG	50 40	RS	सभी आवेदको के लिये
20.	अटल नगर, निम्बाहेड़ा.	–	LIG(G+3) MIG.A MIG.B HIG	64 76 24 22	RS SFS SFS SFS	सभी आवेदको के लिये
21.	मानसरोवर	08	HIG (B+S+13)	104	SFS	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
			Total	2941		

*RS. = 'Registration Scheme'.
SFS. = 'Self Financing Scheme'.

नोट :–

i. सभी आवेदकों के लिये प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजनाओं में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।

ii. प्रताप नगर, सांगानेर के सेक्टर 08, 22 व 23 में पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये विभिन्न श्रेणी के डूप्लेक्स व MIG.A (S+10) फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित ''स्ववित्त पोषित योजना'' के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रताप नगर, मानसरोवर तथा इन्दिरा गान्धी नगर के आवेदकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय वरीयता दी जायेगी।

iii. इन्दिरा गान्धी नगर, जयपुर में पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये LIG (G+2) 11 फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित पंजीकरण योजना में, पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार, इन्दिरा गान्धी नगर, मानसरोवर तथा प्रताप नगर, सांगानेर के आवेदकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय वरीयता दी जायेगी।

iv. आवासीय योजना, सागवाड़ा (डूंगरपुर) में MIG.B 10 &. HIG. 06 आवासों के लिये पूर्व में प्रारम्भ की गई ''स्ववित्त पोषित योजना'' के आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं होने पर, अब पंजीकरण योजना प्रस्तावित की गई है।

v. मानसरोवर योजना के सेक्टर 08 में पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये HIG. (B+S+13) फ्लेट्स हेतु प्रस्तावित ''स्ववित्त पोषित योजना'' के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार मानसरोवर, प्रताप नगर तथा इन्दिरा गान्धी नगर के आवेदकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय वरीयता दी जायेगी।

उक्त आदेशो को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव/मुख्य अभियन्ता/ वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को स्वीकृत योजना के कियान्वयन के कम में निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर से योजना प्रारम्भ/अन्तिम तिथी का निर्धारण करवायें लागत निर्धारित करावें, पंजीकरण आवेदन पत्र विक्रय/जमा इत्यादि कार्यों हेतु बैंकों का निर्धारण करावें, प्रस्तावित आवासों की निर्धारित समय में सही बुकलेट तैयार करावें एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से मंडल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करावें। योजना की बुक लेट की दो-दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय/आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य संपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथी से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना तथा अन्य वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें समय पर वांछित कार्यवाही नहीं होने या गलत कार्यवाही होने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सहित संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
4. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–पी.एण्ड.एम./आवास विकास अवसायन समिति, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य संपदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जन संपर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त–वृत्त .....राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–..... राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
9. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उप निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मंडल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।

08/08/13

(टीकम चन्द बोहरा)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक